भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4522

23 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: उत्पादन बढ़ाने के लिए रसायनों का उपयोग

4522. डॉ. वीरेन्द्र कुमार:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने तथा लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से देश भर में रसायनों का इस्तेमाल दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो रसायनों के इस्तेमाल के कारण हुए रोगों और नुकसान से लोगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का उपयोग खेती के तहत क्षेत्र, फसल के प्रकार, फसल की सघनता, कृषि जलवायु परिस्थितियों, मृदा की स्थिति, खरपतवार, कीट रोगों की स्थिति आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। तथापि, सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ठोस प्रयास कर रही है। सरकार किसानों को उर्वरकों और कीटनाशकों के सही उपयोग के बारे में संसूचित निर्णय लेने के लिए किसानों को सशक्त बनाने के लिए सतत कृषि सिद्धांतों पर एकीकृत पोषक प्रबंधन (आईएनएम) और एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) को बढ़ावा दे रही है। केंद्र और राज्य सरकारें अपनी फील्ड एजेंसियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करती हैं कि किसानों को अनुशंसित उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग के बारे में सही जानकारी/ सूचना प्रदान की जाए। निर्धारित सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों और कीटनाशकों का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग मानव, जानवरों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

देश के 11.93 करोड़ किसानों को चक्र II (2017-19) के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के तहत उर्वरकों (रासायनिक, जैव और जैविक उर्वरकों) के एकीकृत और संतुलित उपयोग के बारे में मृदा परीक्षण आधारित फसल विशिष्ट सिफारिशें प्रदान की गई हैं। आईएनएम पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) जैसी योजनाओं का अभिन्न अंग हैं।

पौध संरक्षण उप-मिशन और पौध संगरोध कार्यक्रम के तहत किसानों और राज्य विस्तार अधिकारियों को किसान फील्ड स्कूलों और मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कार्यक्रमों के माध्यम से रासायनिक कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग, कीटनाशकों के उपयोग के लिए सुरक्षा, कीट प्रबंधन के लिए वैकल्पिक उपकरण अर्थात कीट नियंत्रण के सांस्कृतिक, भौतिक, यांत्रिक तरीकों के साथ-साथ जैव-कीटनाशकों और जैव-नियंत्रण एजेंटों का उपयोग, कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं पर कीटनाशकों का प्रभाव, उचित अनुप्रयोग उपकरण और तकनीक सहित कीटनाशकों संबंधी क्या करें और क्या न करें के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए आईपीएम, आईएनएम पर शिक्षित करने, उर्वरकों का अलग-अलग अनुप्रयोग, धीमी गति से उत्सर्जित होने वाले एन-उर्वरक और नाइट्रिफिकेशन अवरोधकों के उपयोग, फलीदार फसलें उगाने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों (आरसीटी) के उपयोग के संबंध में किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से प्रशिक्षणों और फ्रंट लाइन प्रदर्शनों का आयोजन करता है।

मृदा, पर्यावरण और मानव कल्याण के लिए रासायनिक खेती के एक स्थायी विकल्प के रूप में जैविक खेती को परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीएनडीईआर) की समर्पित योजनाओं के तहत प्रोत्साहित किया जाता है। किसानों को जैविक खेती योजनाओं के तहत उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता प्रदान की जाती है। जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल (jaivikkheti.in) शुरू किया गया है। भारत सरकार फलों, सब्जियों, कंद और मूल फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोका और बांस को शामिल करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2014-15 से एक केन्द्र प्रायोजित योजना समेकित बागवानी विकास मिशन(एमआईडीएच) कार्यान्वित कर रही है ।

(ग) एवं (घ): फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के बारे में प्राप्त किसी भी विशेष शिकायत का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

*****